




सत्यमेव जयते

L - 5693/21

INDIA NON JUDICIAL Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No.

: IN-UP43028605721904T

Certificate Issued Date

: 04-Mar-2021 06:04 PM

Account Reference

: NEWIMPACC (SV)/ up14238304/ MOHANLALGANJ/ UP-LKN

Unique Doc. Reference

: SUBIN-UPUP1423830474287839126862T

Purchased by

: GEETA YADAV WIFE OF RAJBHAUDUR YADAV

Description of Document

: Article 23 Conveyance

Property Description

: F 505/3BHK/5TH FLOOR, UTTAR PRADESH AVAS VIKAS PARISHAD VRINDAVAN YOJNA NUMBER 4 SECTOR 18 LUCKNOW

Consideration Price (Rs.)

: 36,50,669
(Thirty Six Lakh Fifty Thousand Six Hundred And Sixty Nine only)

First Party

: UTTAR PRADESH AVAS EVAM VIKAS PARISHAD LUCKNOW

Second Party

: GEETA YADAV WIFE OF RAJBHAUDUR YADAV

Stamp Duty Paid By

: GEETA YADAV WIFE OF RAJBHAUDUR YADAV

Stamp Duty Amount(Rs.)

: 2,45,600
(Two Lakh Forty Five Thousand Six Hundred only)



Please write or type below this line.....



Geeta Yadav, 16/03/2022

QT 0000864304

Statutory Alert:

- The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.stampitam.com using e-Stamp Mobile App or Stock Holding.
- Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
- The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
- In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

संलग्न नम्बर	बही	खण्ड	पृष्ठ	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	प्रस्तुतकर्ता निष्पादनकर्ता नाम व पता	पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटोग्राफ़
1	2	3	4	5	6	7
					<p>क्रेता / प्रस्तुतकर्ता</p> <p>श्रीमती गीता यादव पत्नी श्री राज बहादुर यादव सम्हई राजपुतानी लक्ष्मण पट्टी ज्ञानपुर संत रविंदरस नगर भदोही 221304</p>  <p>गीता</p>	
					<p>विक्रेता</p> <p>सम्पत्ति प्रबन्धक, उप्रो आवास एवं विकास परिषद्, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ</p>  <p>X</p>	<p>विक्रेता</p>
					<p>मान्त्रि मिशन</p> <p>उप्रो आवास एवं विकास परिषद् लखनऊ</p>	

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख आज दिनांक १२ माह ०३ वर्ष २०२१ की उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है। जिसे एतदपश्चात "परिषद कहा गया है जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के माध्यम से होता है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त परिषद इसका पद धारक उत्तराधिकारी और अभ्यर्पित है और सम्मिलित है।

एक पक्ष और श्रीमती गीता यादव पत्नी श्री राज बहादुर यादव निवासी— सम्झौता राजपुतानी लक्ष्मण पट्टी ज्ञानपुर संत रविदस नगर भद्रोही 221304 जिसके एतदपश्चात पंजीकृत इच्छुक केता कहा गया है और जिस पद का तात्पर्य और जिस में जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त पंजीकृत इच्छुक केता, उसके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक और प्रशासक से है और सम्मिलित है दूसरे पक्ष के बीच किया गया, यह प्रदर्शित करता है कि:-

चूंकि उक्त परिषद भूमि की स्वामी है और उसने शहर/नगर लखनऊ तहसील लखनऊ जिला लखनऊ में वृन्दावन योजना संख्या-4 नामक मुहल्ले के सेक्टर-18 में निर्मित कैलाश एन्कलेव 3BHK का फ्लैट संख्या-F-505 का कुल मूल्य है और चूंकि उक्त परिषद ने रु० 3650669.00 (रु० छत्तीस लाख पचास हजार छः सौ उन्हत्तर मात्र) जिसका आधा रु० 1825334.50 (रु० अट्ठारह लाख पच्चीस हजार तीन सौ चौतीस एवं पैसे पचास मात्र) होता है, के प्रतिफल स्वरूप उक्त सम्पत्ति (संख्या F-505) को, जिसका पूर्ण विवरण और जिसकी माप इस विलेख से संलग्न अनुसूची "क" में उल्लिखित है।

(जिसे एतदपश्चात उक्त सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) बेचने का प्रस्ताव किया है और चूंकि इच्छुक केता उक्त सम्पत्ति को परिषद से उक्त मूल्य पर और इस विलेख में वर्णित निबन्धन और शर्तों के अधीन क्य करने के लिए सहमत है अतएव रु० 3650669.00 (रु० छत्तीस लाख पचास हजार छः सौ उन्हत्तर मात्र) की धनराशि के प्रति फलस्वरूप एतदद्वारा उक्त सम्पत्ति अर्थात फ्लैट संख्या F-505 केता को उसे निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन सर्वदा धृत करने के लिए विक्रय और अन्तरित करती है:-

- (1) परिषद को उक्त सम्पत्ति का, जो ऐसे प्रयोजन के अनुसरण में जिसके लिए परिषद का गठन किया गया था, एतदद्वारा विक्रय किया गया हो, हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार और स्पष्ट प्राधिकार है।
- (2) एतदद्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पत्ति समस्त भार से मुक्त है।
- (3) उक्त सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा इच्छुक केता को प्रदत्त किया जाना है।
- (4) इच्छुक केता उक्त सम्पत्ति को परिषद द्वारा या उक्त परिषद के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किसी व्यवधान या बाधा के बिना ग्रहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा।

श्रीता यादव

क्रेता



क्रमांक: 2 पर
विक्रेता

(2)

(5) यदि केता एतद्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग से किसी पूर्ववर्ती भार ग्रस्तता, किन्हीं दावों या मांगों के कारण या उक्त परिषद के त्रुटियुक्त हक के कारण वंचित किया जाय तो उक्त परिषद केता को युक्त युक्त सीमा तक हानि/क्षति और खर्च की क्षति पूर्ति करेगी।

(6) उक्त सम्पत्ति का विक्य कर दिया गया है और इच्छुक केता ने इसे उक्त परिषद द्वारा यथा प्रस्तावित भूखण्डों/पलैटों और मकानों के इच्छुक केताओं को पंजीकरण की योजना से संबंधित नियमों और अनुदेशों के अधीन क्य किया है और इसमें ऐसे संशोधन या परिवर्द्धन किए जा सकेंगे जो समय-समय पर प्रस्तावित और लागू किये जायें जिनमें से कुछ नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:-

(क) सम्पत्ति का हस्तान्तरण इच्छुक केता को इसकी वर्तमान दशा में किया गया है और केता को बाद में किसी कारण से कोई शिकायत या आपत्ति नहीं होगी। और न ही कोई दावा इस सम्बन्ध में स्वीकार्य होगा।

(ख) केता द्वारा सम्पत्ति का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

(7) उक्त सम्पत्ति का विक्य कर दिया गया है और केता ने इसे इस बात की स्पष्ट और पूरी समझदारी के साथ क्य किया है कि केता केन्द्रीय या राज्य सरकारों के किसी प्राधिकारी द्वारा परिषद से किसी धनराशि के लिए चाहे जो भी हो, दावा किए गये किन्हीं प्रभारों के आनुपातिक भुगतान के लिए सदैव देनदार रहेगा। और यह कि उक्त केता उक्त परिषद की कालोनी में सङ्को, जल सम्पूर्ति, बिजली, सीवर और जल निस्तारण और किन्हीं अन्य सुविधाओं के अनुरक्षण और विनियम जैसी व्यवस्था के प्रभार के प्रतिकिसी अंशदान के लिए भी, जैसी और जब अपेक्षा की जाय, देनदार होगा और इच्छुक केता द्वारा परिषद को देय ऐसी मासिक या वार्षिक धनराशि उक्त सम्पत्ति (संख्या- F-505) पर प्रथम प्रभार के रूप में होगी और परिषद उक्त धनराशि को 13.5% की दर से ब्याज सहित पंजीकृत केता से वसूल करने की विधिक रूप से हकदार होगी।

(8) केता उक्त सम्पत्ति का उपयोग आवासीय प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं करेगा/करेगी और वह विक्य किये गये सम्पत्ति के सम्बन्ध में परिषद के सभी अनुदेशों को सर्वथा अनुसरण करेगा/करेगी।

(9) इस विलेख के अधीन परिषद से इच्छुक केता का आवंटित भूमि में जिस पर उक्त सम्पत्ति संख्या- F-505 स्थित है के अतिरिक्त अनुलग्न भूमि निर्माण या उसके बगल में स्थित भूमि/निर्माण में किसी भी प्रकार का कोई हक संक्रमित नहीं होगा या संक्रमित नहीं समझा जाये।

(10) केता ने विलेख में दिए गये निबन्धन और शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है और उसके पूर्णरूप से जानकारी है कि इस विक्य विलेख के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये गये अधिकार सदैव विलेख में दिये गये निबन्धों और शर्तों के अधीन होंगे।

(11) क्रेता को पलेट्स का भौतिक कब्जा प्राप्त करने की तिथि से दो वर्ष तक अनुरक्षण व्यय हेतु रु० 3111.00 प्रति तीन माह "कार्पेस फण्ड" मे जमा करना होगा। कैलाश एन्कलेव में सर्वप्रथम व्यक्ति को दिये गये कब्जा की तिथि से 2 वर्ष के बाद मेन्टीनेन्स का कार्य आवंटियों की समिति को कार्पेस फण्ड की अवशेष बची धनराशि सहित हस्तगत करा दिया जायेगा। तत्पश्चात समिति द्वारा उक्त एन्कलेव को अपने श्रोतों से करना होगा। निर्धारित रख-रखाव व्यय भौतिक कब्जा प्राप्त करने की तिथि से 2 वर्ष तक प्रति माह क्रेता को देना होगा। आवासीय समिति का सदस्य प्रत्येक क्रेता को बनना अनिवार्य होगा।

ग्रीता घादव

क्रेता



क्रमशः 3 पर

विक्रेता

- (12) सुपर एरिया पर रु० 1.10 प्रति वर्ग फुट प्रति माह की दर से सामान्य सेवाओं जैसे कैम्पस लाईट, सेक्योरिटी गार्ड, ट्यूबवेल आपरेशन, कम्युनिटी सेन्टर की देख-रेख, सफाई विद्युत बिल आदि के रख-रखाव हेतु प्रत्येक फ्लैट्स ऑनर को प्रतिमाह अतिरिक्त देना होगा। जीना, बरामदा, पार्किंग स्थान, पार्क, सुरक्षा कर्मचारी, माली, जमादार आदि का वेतन एवं सीवर सिस्टम का रख-रखाव (एस०टी०पी०) एवं अन्य कामन नेचर की सेवाएँ आदि शामिल होगी।
- (13) नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग/निकाय द्वारा लगायें गये समस्त कर शुल्क गृहकर जलकर आदि का भुगतान नियमानुसार क्रेता को अदा करना होगा।
- (14) योजना आवासीय योजना है अतः फ्लैट्स का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। क्रेता को फ्लैट्स में किसी भी प्रकार का निर्माण परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं विक्रय-विलेख को निरस्त किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन/परिषद के नियम, आदेश व निर्णय क्रेता पर प्रभावी होंगे।
- (15) सर्वोच्च मंजिल की छत पर किसी क्रेता विशेष का अधिकार नहीं होगा तथा यह उसी टावर के समस्त रेजीडेन्ट्स की सामुदायिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहेगा।
- (16) क्रेता द्वारा विद्युत खण्ड, प्रथम, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ से निर्धारित वॉछित औपचारिकतायें पूर्ण करके विद्युत कनेक्शन लिया जाना होगा। उक्त के अतिरिक्त दूरभाष एवं अन्य सर्विस कनेक्शन स्वयं के व्यय से लिया जा सकता है। परन्तु यह सुनिश्चित करना होगा कि इससे कैलाश एन्क्लेव के वाह्य एवं स्थायी स्ट्रेक्चर पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े एवं इस हेतु परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा।
- (17) प्रत्येक क्रेता को फ्लैट के वाह्य मेन्टीनेंस, मरम्मत, पेन्टिंग, ट्यूबवेल मरम्मत, कामन एरिया की लाईट की मरम्मत एवं बदलाव सीवर, नाली, एस०टी०पी० एवं वाह्य विद्युतीकरण आदि के सम्बन्ध में जो व्यय आयेगा, वह क्रेताओं के मध्य विभाजित एवं देय होगा।
- (18) आवंटित क्षेत्रफल जैसे पार्किंग का स्थान स्वतन्त्र एरिया एशोसिएशन को हस्तान्तरित किया जायेगा तथा इस पर कोई भी निर्माण एवं परिवर्तन बिना विक्रेता परिषद की अनुमति के मान्य नहीं होगा।
- (19) कलब, ओपेन एरिया, पार्किंग आदि कामन एरिया उ०प्र० अपार्टमेन्ट्स (परमोशन आफ का स्ट्रक्शन ऑनर शिप एण्ड मेन्टीनेन्स एक्ट-2010) के अनुसार परिषद का रहेगा।
- (20) फ्लैट के हस्तान्तरित क्षेत्रफल में फ्लैट की चारों दिवारों से लगे हुए फ्लैट में दिवारों का आधा भाग फ्लैट में शामिल होगा।
- (21) पुस्तिका में असमावेशित रहगयी शर्तों के विषय में सम्बन्धित शासनादेशों व परिषद के प्राविधान प्रभावी होंगे।
- (22) किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।
- (23) क्रेता द्वारा फ्लैट के विरुद्ध किये गये भुगतान का विवरण अनुसूची-क में है।
- (24) उक्त फ्लैट का विनियमित क्षेत्र/विकास क्षेत्र सेक्टर-18, वृन्दावन योजना सं०-४ लखनऊ।
- (25) सम्बन्धित भूमि के गाटा संख्या का महायोजना में प्रस्तावित भू-उपयोग, पाक, खुले स्थल हरित पट्टिका, क्रीड़ा स्थल तथा महायोजना मार्ग होने के फलस्वरूप आवासीय भू-उपयोग है।
- (26) भू-उपयोग के विरुद्ध निर्माण किये जाने की दशा में ध्वस्तीकरण सहित समस्त विधिक कार्यवाही हेतु क्रेता उत्तरदायी होगा।



क्रमशः 4 पर

क्रेता
कीता यादव

(4)
अनुसूची "क"

प्रतिफल की धनराशि रूपये में)

मूल्य रु० 3650669.00

स्टाम्प पेपर रु० 245600.00

उक्त फ्लैट का कुल मूल्य रु० 3650669.00 ब्याज/दण्ड ब्याज रु० 0.00 कुल रु० 3650669.00 आवंटी द्वारा परिषद को भुगतान किया गया है।

नोट:- (1) शासनादेश संबिंकनि 5-2756/11-2008-500(115)-2007 दिनांक 30.06.2008 एवं शासनादेश संख्या— 772/स्टाम्प लिपिक-2015 दिनांक 15.12.2015 के अन्तर्गत 6 एवं 7 प्रतिशत की दर से ई स्टैम्प प्रमाण पत्र नं० IN-UP43028605721904T, DATE:- 04/03/2021 रु० 245600.00 के ई० स्टाम्प पेपर पर विक्रय विलेख निष्पादित किया जा रहा है।

नोट:- (2) आवंटित फ्लैट संख्या F-505 जो निर्गत पत्र सं० 568 दिनांक 25/01/2021 छायाप्रति संलग्न के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन कर एवं निबन्धन अनुभाग-7, आदेश संख्या-13/संख्या-कनि-7-440/11-2015-700(111) /13 लखनऊ दिनांक 30, मार्च, 2015 के शासनादेश अनुसार विक्रय विलेख एक वर्ष के अन्दर निष्पादित किया जा रहा है।

वृन्दावन योजना संख्या-4 नामक मुहल्ले के सेक्टर-सेक्टर-18

मे निर्मित कैलाश एन्क्लेव का फ्लैट संख्या—F-505

विक्रय की गई सम्पत्ति की अनुसूची

1-	खसरा सं०	-	1072, 1083
2-	भाग	-	ग्राम— बरौली खलीलाबाद, लखनऊ
3-	खसरा सं०	-	1137, 1138 part 1139, 1140, (1141, 1143, 1144)
4-	भाग	-	ग्राम कल्ली पश्चिम परगना-बिजनौर, जिला—लखनऊ
5-	भूमि प्रयोग	-	आवासीय प्रयोग
6-	भूमि का प्रकार	-	फ्लैट
7-	मोहल्ला/ग्राम	-	इम्राहिमपुर वार्ड, लखनऊ
8-	ब्लाक	-	F
9-	प्रकार	-	3BHK
10-	सम्पत्ति का विवरण	-	फ्लैट संख्या:- F-505
11-	फ्लैट का तल	-	5 TH Floor
12-	भूमि का भाष्य	-	36.75 वर्ग मीटर
13-	फ्लैट का निर्मित क्षेत्रफल	-	69.80 वर्ग मीटर
14-	फ्लैट का सुपर एरिया	-	87.57 वर्ग मीटर
15-	फ्लैट का प्रकार	-	आवासीय फ्लैट्स
16-	कुल क्षेत्रफल	-	87.57 वर्ग मीटर
17-	कुल कर्डड क्षेत्रफल	-	69.80 वर्ग मीटर
18-	स्टेट्स फिनिशड	-	फिनिशड
19-	प्रतिफल की धनराशि	-	रु० 3650669.00
20-	मूल्य	-	रु० 3650669.00
21-	बाऊन्डी आप दी फ्लैट्स संख्या		
1-	उत्तर— 1500 MM WD. CORRIDOR		
2-	दक्षिण—OPEN TO SKY		
3-	पूर्व—FLAT NO.F-504		
4-	पश्चिम—FLAT NO.F-508		

क्रमशः 5 पर

क्रेता



मीता यादव

विक्रेता

(5)

‘अनुसूची—ख

(क्रेता द्वारा किये गये भुगतान का विवरण)

जिसके साक्ष्य में श्री केशव देव शर्मा, सम्पत्ति प्रबन्धक ने परिषद के लिए और उसकी ओर से और श्रीमती गीता यादव आशयिता F-505 केता ने स्वयं खरीदार के रूप में स्वेच्छा और सम्पत्ति से किसी प्रभाव या प्रपीड़न के बिना साक्षियों की उपस्थिति में एतद्वारा अपने-अपने हस्ताक्षर किये।

क्रेता के हस्ताक्षर



मीता यादव

१—साक्षीः—ह०

नामः- गुरुमहादेव शर्मा

पता— बिहारी गोदाम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

२-साक्षी-ह० १९८३-०९

परिषद् की ओर से एवं उसके लिए

संक्षम अधिकारी

विक्रेता

1-साली-५०

नाम- १

४८१-

२-साली-३०

二三

四

নামঃ- দিলাক্ষ চৌধুরী

पता- २२१८ - चौकटी गांगोदा

१० दृष्टि

१८६७ - आठवीं


进 - 276123

ئەم تىپنىڭ



ગુજરાતી લિખિત

योजना सहायक उप्रो आदास एवं विकास परिषद लखनऊ



Office of The Executive Engineer

Construction Division Lucknow - 05,

U.P. Awas Evam Vikas Parishad, Office Complex, Vrindavan Yojna, Lucknow

IS 15700:2005



SITE PLAN OF 3BHK FLAT KAILASH ENCLAVE SECTOR-18 VRINDAVAN YOJNA-4 LUCKNOW


SUPER AREA.....87.44..... SQMT.

BUILTUP AREA.....69.80..... SQMT.

PROPORTIONATE FLAT LAND AREA 36.75 SQMT.

KHASARA NO. (1072,1083) PART VILL. -BARAULI KHALILABAD & KHASARA NO . (1137,1138) PART 1139,1140, (1141,1143,1144) PART

VILL. -KALI PASCHIM TAHSIL - SAROJINI NAGAR DISTRICT - LUCKNOW



KEY PLAN


NORTH:- 1500 MM WD. CORRIDOR

SOUTH:- OPEN TO SKY

EAST:- FLAT NO. F-504

WEST:- FLAT NO. F-508

BLOCK NORTH:-




५८७२७४९

ALLOTTEE

J.E.

०३.०३.२१

D/MAN



E.M.O.